

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर पन्ना जिले के वन मंडल दक्षिण पन्ना के अन्तर्गत प्रभावित 21.00 हेक्टेयर वनभूमि 33 के.व्ही. सलेहा से कल्दा विद्युत लाईन निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना मध्यप्रदेश को "माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 07 मार्च, 2012 का पालन करने की शर्त पर" उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	--

दिनांक: 01.2020

स्थान: भोपाल


 (एच.एस.एस. मोहन्ता)
 सचिव, वन विभाग
 मध्यप्रदेश

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)